OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME – TAX, MYSORE
(Address 55/1, SHILPASHREE, VIDYARANYA COMPLEX, VISHWESHWARANAGAR, MYSORE- 570008)
(Phone: 0821-2480260 & 2485276 (Office), 0821-2480261 (Fax), 0821-2480042)

F.No.N-34/80G/CIT/Mys/2013-14 Dt: 27.03..2014

APPROVAL FOR RENEWAL OF RECOGNITON U/s 80G(5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT 1961

Name : The National Institute of Engineering®

Address : Manandavadi Road, Vidyaranyapuram, Mysore

On the verification of the application filed on **23.01.2014** by the above applicant and other details and documents submitted, it is seen that the Society / institution has been Registered under section 12A of the Income-tax Act, 1961 vide Registration **No.Trust/29/12A/CIT/Mys/1998-99** dated **20.07.1998** and the applicant satisfies the conditions referred to in section 80G (5) (iv) to (v) of the Income tax Act 1961. In view of the above, approval is granted u/s 80G (5)(vi) of the I T Act 1961 for **renewal of recognition** from the **A.Y. 2014-15 and onwards,** subject to the following conditions :-

1. The donations made to the above Institution / Fund are deductible under section 80G(2)(a)(iv) r.w.s. 80G (5)(vi) of the Income-tax Act, 1961 in the hands of the donors subject to the limits prescribed therein.

2. The grant of approval is further subject to the following conditions:-

a. The donee Institution / Fund shall forfeit this benefit provided under the law, if any of the conditions stated herein is not complied with or in any way violated.

b. The Institution / Fund shall maintain its accounts regularly and also get them audited in accordance with sec. 80G(5)(iv) read with section 12A(b) and 12A(c) and submit the same along with the return of income before the Assessing Officer within the due date as per the requirements of section 139(1) read with section 139(4A) of the Income tax Act 1961.

c. The Institution / Fund must issue serially numbered and dated receipts to the donors for the donations (voluntary contributions) received, duly signed by any one of the Trustees or their authorized persons. Such receipts shall bear the PAN number of the trust, number and date of this order, and the period of its validity. The name and address of the donor must also be clearly mentioned on the receipt.

d. This approval to the Institution / Fund shall apply to the donations received only if the Institution / Fund is established in India for charitable purposes, and fulfills the conditions laid down in section 80G(5)(i), (ii), (iii), (iv) & (v), 80G(5A), 80G(5B) and 80G(5C) of the Income-tax Act.

e. The Institution / Fund should not issue receipts allowing any benefit under this section to any person of the amount so received is in lieu of any goods, benefit or services rendered directly or indirectly by the Institution / Fund to such person.

f. It is advised that the Institution / Fund prominently displays its name and address, and 80G recognition certificate number at the place where its charitable activities are carried on. If there is any change in the address, the same should be intimated to the undersigned as well as to the Assessing Officer.

Sd/-
(M Tirumala Kumar)
Commissioner of Income-tax,
Mysore

N. Sairaj

(N Sairaj)
Income Tax Officer(Tech),
for Commissioner of Income Tax,
Mysore

Copy: 1. The Applicant
2. The Assessing Officer

सत्यमेव जयते

आयकर आयुक्त का कार्यालय

पता: 55/1, शिल्पश्री, विद्यारण्य कॉम्प्लेक्स, विश्वेश्वरम, मैसूर-570 008
दूरभाष: 0821-2480260 - 2485276 (कचेरी), 0821-2480261 (फ्याक्स), 0821-2840042

फा.सं. एन-34/80जि/आ.आ./मैसूर/2013-14   दिनांक :27.03.2014

<u>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) मान्यता के नवीकरण के अधीन प्रमाण-पत्रों</u>

नाम :- द नैशनल इंस्टिट्यूट आफ एन्जिनिरिंग

पता :- मानान्दवाडी रोड, विद्यारान्यपुरम, मैसूर

उपर्युक्त आवेदक द्वारा दिनांक **23.01.2014** को फाईल किए गए आवेदन, अन्य विवरण एवं दस्तावेज के सत्यापन पर यह पाया गया कि उक्त ट्रस्ट /संस्था दिनांक **20.07.1998** की पंजीकरण **सं.ट्रस्ट /29/12ए/आ.आ/मैसूर/1998-99** के क्रम में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन ट्रस्ट/संस्था पंजीकृत की गई है और आवेद क आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी(5)(vi) से (v) तक में बताई गई शर्तों को पूरा करते हैं। इसके मद्देजर **निर्धारण वर्ष 2014-15 और आगे** से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) **मान्यता के नवीकरण** के अधीन निम्मिलिखित शर्तों पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

1. उपर्युक्त संस्था/फंड को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी(5)(Vi) के साथ पठित धारा 80जी(2)(ए)(iv) के अधीन निर्धारित सीमा तक दान करने वालों के लिए कटौती योग्य हो जाता है।

2. आगे निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करने पर अनुमोदन की स्वीकृति दी जाती है.

a यहाँ उल्लिखित किन्हीं शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर अथवा उसका उल्लंघन किए जाने पर कानून के अधीन उपलब्ध कराए गए लाभ से दान संस्था/निधि वंचित रहेगा।

b संस्था/निधि को अपने खातों का नियमित रूप से रख-रखाव करना चाहिए एवं धारा 12ए(बी) तथा 12ए(सी) के साथ पठित धारा 80जी.(5)(iv)के साथ के अनुसरण में उनकी लेखा-परीक्षा करवाई जानी चाहिए तथा निर्धारण अधिकारी के समक्ष देय तिथि के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4ए) की धारा के साथ पठित धारा 131(1) की शर्तों के अनुसार आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा।

c संस्था/निधि द्वारा प्राप्त दान (स्वैच्छिक योगदान) के लिए दानकर्ताओं को क्रमांकित एवं दिनांकित रसीद जारी की जानी चाहिए जिसे ट्रस्टियों में से किसी एक के द्वारा अथवा उनके प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस प्रकार की रसीदों पर ट्रस्ट की पैन संख्या, इस आदेश की संख्या तथा दिनांक, उसकी वैधता की अवधि आदि का उल्लेख होना चाहिए। दानकर्त्ता का नाम तथा पता भी स्पष्ट रूप से रसीद पर दर्शाया जाना चाहिए।

d इस संस्था/निधि को दिये गये अनुमोदन उसके द्वारा प्राप्त दान पर तभी लागू होगा यदि संस्था/निधि धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भारत में स्थापित किया गया है और वह आयकर अधिनियम की धाराएँ 80जी(5)(i)ए(ii),(iii),(iv) तथा (v), 80जी (5ए),80जी(5बी) तथा 80जी(5सी) में बताई गई शर्तों को पूरा करता है।

e यह संस्था/निधि इस धारा के तहत किसी प्रकार का लाभ किसी व्यक्ति को स्वीकृत करते हुए कोई रसीद जारी नहीं करेगी। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि किसी सामान के बदले या संस्था निधि द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में की गई सेवा या पहुंचाया गया लाभ के बदले में प्राप्त की गई हो तो कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी।

f यह सलाह दी जाती है कि संस्था/निधि अपना नाम और पता और 80जी मान्यता प्रमाण पत्र सं. उस स्थान पर जहाँ वह अपनी धर्मार्थ गतिविधियाँ चलाता है वहाँ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराये। पते में यदि कोई परिवर्तन है तो उसे अधोहस्ताक्षरी तथा निर्धारण अधिकारी दोनों को सूचित किया जाना चाहिए।

सही/-

(एम् तिरुमल कुमार)
आयकर आयुक्त, मैसूर

प्रति :- 1. आवेदक,
2.निर्धारण अधिकारी।

(एन साईराज)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर निर्देशक, मैसूर